

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ,

दिनांक ०६ मई, 2016

विषय :- डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो।

(2) यदि किसी अश्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के प्रदों पर चयन हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/परिषदों की सूची संलग्न है, साथ ही ऐसी संस्थाएं, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं, की सूची भी संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव ।

संख्या-2/2106/3/1/2015-का-2(1)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) प्रमुख सचिव / सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 2) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- 10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 11) वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र।
- 12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

संख्या-३७/२०१५/४६३/४७-का-३-२०१५-१३/१६/२०१५

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक: २६ मई, २०१५

विषय:-डी०आ०ई०ए०सी०सी०(डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण-पत्र की समकक्षता
निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-१२३/परीक्षा अनुभाग/आयोग/२०१५/०६/२०१५,
दिनांक २४.०२.२०१५ के संदर्भ में कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु
डी०आ०ई०ए०सी०सी०(डोयक) सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण-पत्र की समकक्षता के संबंध में
शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है—

(१) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा
स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट
परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी
कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

(२) यदि किसी अध्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी
कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

२. अनुरोध है कि कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु उपरोक्तानुसार
कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/परिषदों आदि का विवरण संलग्न
है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- (१)/४७-का-३-२०१५-१३/१६/२०१५, तददिनांक।

प्रतिलिपि,

- कार्मिक अनुभाग-२ को उपर्युक्तानुसार शासनादेश निर्गत करने हेतु कार्मिक अनुभाग-३ की
सुसंगत पत्रावली पर लिये गये निर्णय से संबंधित पृष्ठों की छायाप्रतियों के साथ प्रेषित।
- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन) द्वासा उपलब्ध करायी गई विधि द्वासा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

- (1) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
- (2) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन आन्ध्र प्रदेश।
- (3) आसाम हायर सेकेन्डरी एजूकेशन काउंसिल।
- (4) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, आसाम।
- (5) बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड।
- (6) बिहार स्टेट मदरसा एजूकेशन बोर्ड।
- (7) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
- (8) छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
- (9) छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
- (10) छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
- (11) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
- (12) काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स।
- (13) दयाल बाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
- (14) गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
- (15) गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड।
- (16) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा।
- (17) एम०पी०बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
- (18) जे०ए०ड के० स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
- (19) झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
- (20) गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजूकेशन।
- (21) कर्नाटक सेकेन्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड।
- (22) केरल बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन।
- (23) केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
- (24) महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर एजूकेशन।
- (25) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश।
- (26) एम०पी०स्टेट ओपन स्कूल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ एम०पी०।
- (27) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजूकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम०पी०)
- (28) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर इम्फाल।
- (29) काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- (30) मेघालय बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
- (31) मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, एजवल।
- (32) नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
- (33) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।
- (34) काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
- (35) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।

B2 m

- (36) पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
(37) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, राजस्थान, अजमेर।
(38) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
(39) तमिलनाडु स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेशन्स, तमिलनाडु।
(40) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
(41) यू०पी०बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद।
(42) यू०पी०स०० संस्कृत एजूकेशन काउंसिल, लखनऊ।
(43) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, उत्तराखण्ड।
(44) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
(45) वेस्ट बंगाल कौरिसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
(46) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजूकेशन।
(47) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजूकेशन।
(48) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
(49) बनस्थली विद्यापीठ।
(50) ए०पी०ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमेन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
(51) बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूल एण्ड एक्जामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

- (1) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
(2) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
(3) गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
(4) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन मध्य भारत ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा।
(5) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
(6) भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
(8) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

Alam



(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त कोबसे (काउन्सिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

- 1) बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
- 2) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन आन्ध्र प्रदेश।
- 3) असम हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, काउन्सिल।
- 4) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, असम।
- 5) बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड।
- 6) बिहार स्टेट मंदरसा एजूकेशन बोर्ड।
- 7) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
- 8) छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
- 9) छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
- 10) छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
- 11) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
- 12) काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स।
- 13) दयाल बाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
- 14) गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
- 15) गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड।
- 16) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा।
- 17) एच०पी०बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
- 18) जे०एण्ड के० स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
- 19) झारखण्ड एकेडमिक काउन्सिल, रांची।
- 20) गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजूकेशन।
- 21) कर्नाटक सेकेन्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड।
- 22) केरल बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन।
- 23) केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
- 24) महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
- 25) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश।
- 26) एम०पी०स्टेट ओपेन स्कूल एजूकेशन बोर्ड।
- 27) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजूकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम०पी०)
- 28) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 29) काउन्सिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 30) मेघालय बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
- 31) मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, आइजल।

- 32) नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
 33) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोयडा, उत्तर प्रदेश।
 34) काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
 35) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
 36) पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
 37) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, राजस्थान, अजमेर।
 38) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
 39) स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेशन्स, तमिलनाडु।
 40) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
 41) यू०पी०बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद।
 42) यू०पी० सेकेण्डरी संस्कृत एजूकेशन काउंसिल, लखनऊ।
 43) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, उत्तराखण्ड।
 44) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
 45) वेस्ट बंगाल कौंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
 46) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजूकेशन।
 47) वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजूकेशन।
 48) वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
 49) बनस्थली विद्यापीठ।
 50) ए०पी०ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
 51) बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूलिंग एण्ड एक्जामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, च०प्र०, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

- 1) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
- 2) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
- 3) गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
- 4) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन मध्य भारत, खालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा।
- 5) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
- 6) भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7) बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
- 8) माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
 विशेष सचिव।

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो।
- (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर, डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute of Electronics and Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, के संदर्भ में भी उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था प्रभावी होगी। तत्क्रम में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/परिषदों की सूची पुनः संलग्न की जा रही है, साथ ही ऐसी संस्थाएँ, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं, की सूची भी संलग्न की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-10/2016/3/1/2015(1)-का-2-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 10/2016/3/1/2015-का-2, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016 का संलग्नक :-

(क) आधिकारिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

1. बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन आन्ध्र प्रदेश।
3. असम हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, काउंसिल।
4. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, असम।
5. बिहार स्कूल एवजामिनेशन बोर्ड।
6. बिहार स्टेट मदरसा एजूकेशन बोर्ड।
7. सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
8. छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
9. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
10. छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
11. छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
12. काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एकजामिनेशन्स।
13. दयाल बाग एजूकेशनल इनस्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
14. गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
15. गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड।
16. बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा।
17. एच०पी०बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
18. जे० एण्ड के० स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
19. झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
20. गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजूकेशन।
21. कर्नाटक सेकेन्डरी एजूकेशन एकजामिनेशन बोर्ड।
22. केरल बोर्ड आफ पब्लिक एकजामिनेशन।
23. केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
24. महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
25. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य प्रदेश।
26. एम०पी०स्टेट ओपेन स्कूल एजूकेशन बोर्ड।
27. महार्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजूकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम०पी०)
28. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
29. काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
30. मेघालय बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन।
31. मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, आइजल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट (<http://shasanadesh.up.nic.in>) से स्थापित की जा सकती है।

32. नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
33. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोयडा, उत्तर प्रदेश।
34. काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
35. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा।
36. पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।
37. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, राजस्थान, अजमेर।
38. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
39. स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एकजामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एकजामिनेशन्स, तमिलनाडु।
40. त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
41. यूपी०बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद।
42. यूपी० सेकेण्डरी संस्कृत एजूकेशन काउंसिल, लखनऊ।
43. बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, उत्तराखण्ड।
44. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन।
45. वेस्ट बंगाल कौसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन।
46. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजूकेशन।
47. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजूकेशन।
48. वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रविन्द्र ओपन स्कूलिंग।
49. बनस्थली विद्यापीठ।
50. ए०पी०ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नरमन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
51. विहार बोर्ड आफ ओपन स्कूलिंग एण्ड एकजामिनेशन।

(य) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ५०प्र०, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
2. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
3. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
4. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा।
5. भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
6. भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 05 जुलाई, 2018

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक एवं ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute Of Electronics And Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, की समकक्षता के सम्बन्ध में समसंघयक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 एवं 23 सितम्बर, 2016 निर्णत किये गये हैं।

2. समकक्षता के सम्बन्ध में हो रही व्यावसारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सी.सी.सी. प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और स्पष्ट करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी.जी.डी.सी.ए., बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा ग्रेजुरेशन अथवा उच्च डिग्री (बी.ए., बी.एस.सी., बी-टेक, एम.एस.सी., एम.बी.ए.) में कम्प्यूटर एक विषय के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्री प्रश्नगत पदों के चयन हेतु अर्ह माना जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2018/3/1/2015(1)-का-2 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को, मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्याक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, ३०प्र०।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, ઇલાહાਬાદ।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ઇલાહાబાદ।
12. सचिव, उत्तर प्रदेश अधીનસ्थ સेवा ચયન આયોગ, લખનऊ।
13. નિર્દેશક, સूचना, उत्तर प्रदेश।
14. સચિવાલય કે સમસ્ત અનુભાગ।
15. ગાડ ફાઇલ।

आજ्ञા સे,
अરविन्द मोहन દિત્તાંશી
વિશેષ સચિવ।

1- यह शासनादेश ઇलेक्ट્રાનિકली જારી કિયા ગયા હૈ, અતે: ઇસ પર હસ્તાક્ષર કી આવશ્યકતા નહી હૈ।
2- ઇસ શાસનાદેશ કી પ્રમાણિકતા વેબ સાઇટ <http://shasanadesh.up.nic.in> સે સત્યાપિત કી જા સકતી હૈ।